रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222649
CG-DL-E-22102020-222649

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2020/ आश्विन 29, 1942
No. 447] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2020/ASVINA 29, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

फा. सं. 1-1275/एफ़एसएसएआई/आयात/2015.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2019 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 मे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. 1-1275/एफ़एसएसएआई/आयात/2015, तारीख 29 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमे उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 5 फरवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत:,अब, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात)प्रथम संशोधन विनियम, 2020 है।

(2) नीचे अनुभाग (1) (क) (i) और (1) (क) (ii) के सिवाय ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे; और खाद्य कारोबार चालक को इन विनियमों के सभी उपबंधों का 1 जुलाई 2021 से अनुपालन करना होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017, में,-

(1) अध्याय – 3 में,-

(क). "खाद्य प्राधिकरण द्वारा आयातित खाद्य की निकासी" से संबन्धित उप-विनियम (5) मे,-

(i) उप-विनियम (1) में, "सीमा शुल्क द्वारा एक विशेष एकीकृत घोषणा पत्र दायर करेगा" शब्दो के पश्चात, निम्नलिखित शब्द रखे जाएगे, अर्थात,-

"समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य बुनियादी खाद्य आयात निकासी शुल्क का भुगतान करेगा।"

(ii) उप-विनियम (2) में,-

क. खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात,-

"(ख) संतोषप्रद निरिक्षण के पश्चात, प्राधिकृत अधिकारी, खाद्य आयातकर्ता को निरिक्षण के समय और तारीख के ब्यौरे आयातकर्ता या उसके सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधि की निरिक्षण के स्थान और समय पर उपस्थिति को सुकर बनाने के लिए सूचना देगा;"

ख. खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ड) का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात,-

"(4) यदि खाद्य आयातकर्ता या उसका सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता पारस्परिक रूप से सहमत तारीख और समय पर निरीक्षण और नमूने के लिए उपस्थित नहीं होता हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी खाद्य आयातकर्ता या उनके सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता के अनुरोध पर निरीक्षण और नमूने हेतु पुन:नियत करने का एक अवसर प्रदान कर सकेगा।

(4) (क) पारस्परिक रूप से सहमत तारीख और समय के दौरान खाद्य आयातकर्ता या उनके सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता की अनुपस्थिति में, प्राधिकृत अधिकारी और नियुक्ति देने से इनकार कर सकेगा और खाद्य परेषण का निरीक्षण कर सकेगा और नमूना ले सकेगा:

परन्तु खाद्य आयात कर्ता या उसके सीमा शुल्क सदन अभिकर्ता के अनुरोध पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खाद्य आयातकर्ता पर समुचित शुल्क , जो समय समय पर प्राधिकरण द्वारा विर्निदिष्ट की जाए , उद्गृहण करने के पश्चात इसके सम्बन्ध में एक और अवसर प्रदान कर सकेगा।"

(ख) "पैकेजिंग और लेबलिंग के नियमों के मानकों का अनुपालन" से संबन्धित विनियम '6' मे,-

(i) उप-विनियम (4) मे, खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात,-

"(ड़) खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार कोई अन्य लेबलिंग जानकारी।"

(ii) उप-विनियम (5) मे, "प्राधिकृत अधिकारी एक आदेश" शब्दो के पश्चात, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात,-

"समीक्षा के दौरान या दृश्य-निरीक्षण के पश्चात"

(iii) उप-विनियम (6) मे, "प्राधिकृत अधिकारी खाद्य का फिर से निरीक्षण करेगा" शब्दो के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात,-

"प्राधिकृत अधिकारी खाद्य का दृश्य -निरीक्षण या पुनः निरीक्षण करेगा"

(2) अध्याय –5 मे, विनियम '9' मे, उप-विनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किय जाएगा, अर्थात,-

"(3 क) पहले से पैक की गई खुदरा आयातित खाद्य वस्तुओ की दशा मे , दृश्य -निरीक्षण और नमूना लेने के पश्चात प्राधिकृत अधिकारी, खाद्य परेषण को एक अच्छी तरह से सुसज्जित भण्डारण सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए अनंतिम अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा ;

(3 ख) उप-विनियम (3 क) के प्रयोजन के लिए, प्राधिकृत अधिकारी फॉर्म '13 क ' में आयातकर्ता से एक घोषणा लेगा और आयातकर्ता प्राधिकारी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात ही इस तरह के पहले से पैक की गई खुदरा आयातित खाद्य वस्तुओ का विक्रय करेगा।"

(3) अध्याय –11 मे, " पुनर्विलोकन आदेश से सम्बंधित" विनियम '15' मे, उप-विनियम (3) के खंड (ड़) मे "सात दिन की अवधि के भीतर" शब्दो के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात,-

"दस कार्य दिवस की अवधि के भीतर"

(4) प्रारूप - '13', के पश्चात निम्नलिखित प्रारूप रखा जाएगा, अर्थात,-

प्रारूप - 13 क

[विनियम 9(3ख) को देखें]

पहले से पैक की गई खुदरा आयातित खाद्य परेषण के लिए अनंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के के लिए घोषणा

(एफबीओ/ आयातकर्ता/कम्पनी के शीर्षनामा पर मुद्रित किया जाए)

सेवा में,

प्राधिकृत अधिकारी, एफएसएसएआई
...........आयात का पत्तन.............

महोदय,

मै/हम... निवासी........................ मैसर्स............के (स्वत्वधारी/भागीदार /प्रबंध निदेशक/निदेशक/मैसर्स के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)......................(खाद्य का नाम.) खाद्य परेषण बिल ऑफ़ एंट्री संख्या............. दिनांक....................... पत्तन का नाम.................................. द्वारा आयातित ....(खाद्य का नाम) , के लिए अनंतिम अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करते हैं।

2. मै/हम वचन देते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित नियम और शर्तों का अनुपालन आयात करने वाली फर्म/कम्पनी की ओर से करेंगे -

(I) ऊपर वर्णित बिल ऑफ एंट्री के अधीन सम्पूर्ण परेषण को भंडारण की सुविधा ....<गोदाम का पता> में रखा जाएगा और परेषण का कोई हिस्सा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व बाजार में नहीं जारी किया जाएगा;

(II) भारतीय सीमा शुल्क और खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दोनों को किसी भी समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि परेषण को सुरक्षित रूप से रखा गया है,खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने तक उक्त भंडारण सुविधा का निरीक्षण करने का अधिकार होगा;

(III) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी भी नियम, विनियमों का पालन न करने की स्थिति में, मै/हम कार्गो को सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार में ले जाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विर्निदिस्त विनाशन / पुन: निर्यात करने के लिए सभी मानकों का पालन करेगे।

(IV) उपरोक्त मानकों में से किसी का पालन न करने की स्थिति में, मै में ऊपरहम भविष्य/ वर्णित किसी भी सुविधा को पाने के पात्र नहीं होगे। इसके अलावा, मैं / हम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के नियमों और तत्वधीन बनाए गए नियमों और नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे।

	आयात कर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित
	नाम
स्थान	पता
तारिख	सम्पर्क संख्या

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[सं. विज्ञापन-III/4/असा./308/2020-21]

टिप्पण – मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं0 01/2008/आयात संरक्षा/एफ़एसएसएआई, तारीख 9 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या रेग/11/25/आयात संशोधन/ एफ़एसएसएआई-2017, तारिख 7 फरबरी,2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2020

F. No. 1-1275/FSSAI/Import/2015.—Whereas the draft of certain regulations, namely, the Food Safety and Standards (Import) Amendment Regulations, 2019, were published vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number No. 1-1275/FSSAI/Import/2015, dated the 29th January, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 as required under sub- section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th February, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub- section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely: -

REGULATIONS

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Import) First Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette except the section (1) (A) (i) and (1) (A) (ii) below; and Food Business Operator shall comply with all other provisions of these regulations with effect from 1st July, 2021.

2. In the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017, -

(1) in Chapter –III,-

(A) in regulation '5' relating to "Clearance of Imported Food by the Food Authority", -

(i) in sub-regulation (1), after the words "Form as specified by the Customs", the following words shall be inserted, namely: -

"and shall pay non-refundable basic food import clearance fee as specified by Food Authority from time to time"

(ii) in sub-regulation (2),-

(a) for the clause '(b)', the following shall be substituted, namely:-

"(b) after satisfactory scrutiny, the Authorized Officer shall intimate the details of date and time of inspection to the Food Importer to facilitate the presence of the Importer or his Custom House Agent or authorized representative at the time and place of inspection;"

(b) clauses (c), (d) and (e) shall be omitted.

(iii) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely:-

"(4) If the Food Importer or his Custom House Agent is not present to facilitate inspection and sampling at the mutually agreed date and time, the Authorised Officer may grant one opportunity to reschedule the appointment for inspection and sampling on request of Food Importer or his Custom House Agent.

(4) (a) In absence of Food Importer or his Custom House Agent during mutually agreed date and time, The Authorized Officer may refuse to grant further appointment and may carry out inspection and sampling of food consignment:

Provided that on request of Food Importer or his Custom House Agent, any further opportunity in this behalf may be granted by the official authorized by CEO, after levy of suitable fee on the Food Importer as may be specified by the Authority from time to time."

(B) in regulation '6' relating to "Compliance with standards for packaging and labelling",-

(i) in sub-regulation (4) –

(a) for the word "principle display", the following clause shall be substituted, namely: -

"principal display";

(b) after clause (d), the following shall be inserted, namely: -

"(e) Any other labeling information as per instructions issued by the Food Authority from time to time."

(ii) in sub-regulation (5), after the words "Authorised Officer may pass an order", the following shall be inserted, namely:-

"during scrutiny stage or after visual inspection";

(iii) in sub-regulation (6), for the words "Authorised Officer shall carry out a re-inspection", the following shall be substituted, namely:-

"Authorised Officer shall carry out visual inspection or re-inspection"

(2) in chapter-V, in regulation 9 relating to "Sampling of Imported Food in respect of imported article of food", after the sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely:-

"(3a) In case of imported pre-packaged retail food article, the Authorized Officer after successful completion of visual inspection and sampling, may issue a provisional no objection certificate to move the food consignment to a well equipped storage facility.

(3b) For the purpose of sub-regulation (3a), the Authorized Officer shall take a declaration from importer in Form '13 A' and importer shall sell such pre-packaged food article only after the issuance of no objection certificate by the Authorized Officer."

(3) in chapter-XI, in regulation 15 relating to "Reviewable orders", in clause (e) of sub-regulation (3), for the words "within a period of seven days", the following shall be substituted, namely:-

"within a period of ten working days";

(4) in Form -6, for the words "Food Safety and Standards (Food Import) Regulation, 2016", the following shall be substituted, namely:-

"Food Safety and Standards (Food Import) Regulation, 2017"

(5) after Form '13', the following Form shall be inserted, namely:-

FORM -13A

[See regulation 9(3b)]

Declaration regarding issue of provisional no objection certificate for imported pre-packaged retail food consignment

(To be printed on the Letterhead of the FBO/Importer/Company)

To

The Authorised Officer, FSSAI
<Port of Import>

Dear Sir,

I/We,………………………… resident of…………………… [as Proprietor/ Partner/ Managing Director/ Director/ Authorised Signatory] of M/s…………………………………..are importer of…… <Name of Food Items>….. in the consignment imported vide ……<Bill of Entry>……dated………….at ………..<Port location>……., request,you to issue provisional NOC for the same.

I/We hereby undertake to comply with the following terms and conditions on behalf of the importing firm/company as under: -

(i) The entire consignment under above mentioned Bill of Entry will be retained in a storage facility at …..<address of warehouse>……and no part of the consignment shall be released into the market prior to issuance of no objection certificate;

(ii) Both Customs and Food Safety and Standards Authority of India have the right to inspect the said storage facility at any time to ensure that the consignment is held securely till the no objection certificate is provided by Food Safety and Standards Authority of India;

(iii) In the event of non-compliance of any rules, regulations made under FSS Act, I/We shall be fully responsible to move the cargo back to Customs jurisdiction and comply with all the norms for destruction/ re-export as may be decided by the competent Authority;

(iv) In case of non-compliance of any of the above norms, I/We will not be eligible to avail of the above mentioned facility in future. Besides, I/We will be liable for contravention of the Food Safety and Standards Act, 2006 and rules & regulations made there under.

	Signatures of the Importer with Stamp/ Seal
	Name:
Place:	Address:
Date:	Contact Nos:

Note.- The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, *vide* notification number F. No. 1/2008/Import safety/FSSAI, dated 9th March, 2017 and amended vide notification number F.No. REG/11/25/Import amendment/FSSAI-2017, dated 7th February, 2018.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./308/2020-21]

Loaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM